(3)

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रयागराज मंडल प्रयागराज।

सेवा में,

सचिव
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र दो समुदाय केंद्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/ पी0- 4 / NOC / ____________ / 2018 – 19 दिनांक: 10/1/2019

विषय- बी0पी0 पब्लिक स्कूल, मंझनपुर कौशांबी उत्तर प्रदेश को सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश शिक्षा अनुभाग लखनऊ के पत्र संख्या 1916 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता हेतु दिनांक 7 एक 2019 को आयुक्त प्रयागराज मंडल प्रयागराज की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बी0पी0 पब्लिक स्कूल, मंझनपुर कौशांबी उत्तर प्रदेश को सी बी एस ई बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए जिसके अनुपालन में निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10% स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली काउंसिल फॉर थे इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वता समाप्त हो जाएंगे।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान ओ तथा अन्य भत्तों से कम वेतन मान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएंगी तथा उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मानक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त के लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिका में रखा जाएगा उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
9. सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे।
10. संस्था द्वारा सोसाइटी के bye-laws में यह प्रावधान किया जाएगा कि उक्त शर्त के बिना शासन के अनुमोदन के कोई परिवर्तन परिवर्धन संशोधन नहीं किया जाएगा।
11. सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया।
12. छात्र-छात्राओं से वही शुल्क लिया जाएगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।
13. शिक्षण कक्ष प्रयोगशाला पुस्तकालय कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जाएंगे।
14. विद्यालय की प्रबंध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जाएगा।
15. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनघट गोचर तालाब खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया

जाएगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा एवं संबद्धता से पूर्व संस्था में अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाएंगे तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से कम वेतन दिया जा रहा हो उसे पूर्ण किया जाए।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटिया शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

भवदीय

(श्रीमती माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रयागराज मंडल प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या / पी0 – 4 / NOC / 20958 – 63 2018- 19 तद् दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी कौशाम्बी।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज।
6. प्रबन्धक, वी0पी0 पब्लिक स्कूल, मंझनपुर कौशांबी उत्तर प्रदेश।

भवदीय

(श्रीमती माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रयागराज मंडल प्रयागराज